राजस्थान सरकार
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

कमांक–एफ.3(5)(42)/नामकरण/2012–13/01 **जयपुर, दिनांक: 03.10.2018**

—: आदेश :—

राज्य मंत्रीमण्डल की आज्ञा कमांक डी.188/मं.मं./2018 दिनांक 02.10.2018 की अनुपालना में राज्य सरकार, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित :—

1. उदयपुर के 44, प्रतापगढ़ के 23, सिरोही के 11, पाली के 02 एवं चित्तौडगढ जिले के 01 राजकीय बालक आश्रम छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों का नामकरण **राणा पूंजा** के नाम पर,
2. बांसवाड़ा जिले के 27 राजकीय बालक आश्रम छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों का नामकरण **राजा बांसिया** के नाम पर,
3. उदयपुर के 40, बांसवाड़ा के 46 तथा सिरोही जिले के 05 राजकीय बालिका आश्रम छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों का नामकरण **वीरबाला कालीबाई** के नाम पर, एवं
4. प्रतापगढ़ जिले के 36 राजकीय बालिका आश्रम छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों का नामकरण **रानी देवली मीणा** के नाम पर,

किये जाने के एतद्द्वारा आदेश प्रदान करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(शंकर लाल कुमावत)
आई.ए.एस.
संयुक्त शासन सचिव,

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को सी.डी.में सॉफ्ट कॉपी में संलग्न प्रेषित कर लेख है कि आदेश का गजट में प्रकाशन करावें। यह भी लेख है कि इस आदेश की 10 प्रति इस विभाग को तथा 10 प्रति मय बिल के सीधे ही आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को भेजे। कृपया उपलब्ध सी.डी. का मिलान संलग्न हस्ताक्षरित आदेश से मिलान कर प्रकाशन करावें।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान।
3. निजी सचिव/निजी सहायक, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।

4. निजी सचिव/निजी सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदया, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
5. वरिष्ठ उपशासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,जयपुर।
7. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, जयपुर।
8. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
9. आयुक्त सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
10. एसीपी (कम्प्यूटर सैल), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव,